(पूर्ण बेंच)

पहलेः एसएस सोढ़ी, वीके बालीऔर वीके झांजी, जेजे। बख्शीश कौर सैनी,-याचिकाकर्ता.

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ और अन्य,-प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 1993 का 4083.

4 जून 1993.

पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन)) अधिनियम, 1952- एस.एस. 4(1), 5(1), 5(2), 15 और 22—1952 अधिनियम के उल्लंघन में अनिधकृत निर्माण—ऐसे निर्माण को बदलने या ध्वस्त करने के लिए नोटिस—एस. 15 परंतुक (1) जारी करने के लिए 6 महीने का समय तय करना अनिधकृत निर्माण शुरू होने या पूरा होने की तारीख से मालिक को नोटिस - नोटिस जारी करने में देरी - केवल समय बीतने से निर्माण को वैध नहीं ठहराया जा सकता है।

आयोजित.पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों को पढ़ने से पता चलता है कि हालांकि इसके उल्लंघन में इमारतों के निर्माण और निर्माण के संबंध में स्पष्ट और अनिवार्य निषेध शामिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा प्रावधान जो एक सक्षम प्रावधान के रूप में प्रदान करता है या समझा जा सकता है, जो केवल समय के अंतराल पर किसी भी अनिधकृत निर्माण को वैध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। यह निस्संदेह सच है कि अधिनियम की धारा 15 के पहले प्रावधान के अनुसार, कथित अनधिकृत निर्माण के विध्वंस के लिए मालिक पर नोटिस जारी करने के लिए एक समय सीमा लगाई गई है और इसलिए ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता है। , इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद जारी किया जा सकता है. लेकिन. जैसा कि पहले बताया गया है. इस तरह के नोटिस जारी करना तीन परिणामों में से एक है जो अधिनियम के प्रावधानों और भवन निर्माण से संबंधित नियमों के उल्लंघन से उत्पन्न हो सकता है। एसएस के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए डिफ़ॉल्ट मालिक का दायित्व। 8ए और 15, अर्थात्, साइट की जब्ती और जुर्माने की बहाली अभी भी जारी रहेगी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अनाधिकृत निर्माण पुरा होने के छह महीने बाद ही यह वैध हो जाएगा।

(पैरा 16 एवं 18)

246146 आईएलआर पंजाब और हरियाणा(1993)2

*चंडीगढ़ प्रशासन*बनाम श्रीमती हरिंदर पन्नू 1991(1) पीएलआर 144

{ अस्वीकृत)

आगे आयोजित,यह वास्तव में कुछ हद तक अजीब लगता है कि कार्रवाई के सबसे हल्के रूप के लिए ऐसी समय सीमा तय की जानी चाहिए थी डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। केंद्र सरकार बख्शीश- कौर सैनी बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य247 (एसएस सोढ़ी, जे.)

इसलिए, अपने विवेक से अधिनियम की धारा 15 के पहले प्रावधान के तहत विध्वंस की सूचना जारी करने के लिए किसी भी समय सीमा को पूरी तरह से हटाने पर विचार कर सकता है।

(पैरा 20)

भारत के संविधान के अन्च्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना है कि:

- (i) एक कमरे/भंडार को ध्वस्त करने की कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 3 की कार्रवाई को अवैध, मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित करते हुए सर्टिओरारी/परमादेश या ऐसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए;
- (ii) ऐसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश, जिसे माननीय न्यायालय उपयुक्त और उचित समझे, याचिकाकर्ता के पक्ष में भी जारी किया जा सकता है;
- (iii) अनुलग्नक पी-1 से पी-4 तक प्रमाणित सीकॉपी दाखिल करने से छ्टकारा पाया जा सकता है;
- (iv) प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस जारी करने की छूट दी जा सकती है;
- (v) इस माननीय न्यायालय के अवलोकन हेतु मामले के रिकॉर्ड तलब किये जा सकते हैं;
- (vi) डब्ल्यू रिट याचिका की लागत उत्तरदाताओं के खिलाफ याचिकाकर्ता को दी जा सकती है;

आगे आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि जब तक इस रिट याचिका का निर्णय नहीं हो जाता तब तक विध्वंस न किया जाए।

(यह मामला माननीय श्री न्यायमूर्ति एसएस सोढ़ी और माननीय श्री न्यायमूर्ति वीके बाली की खंडपीठ द्वारा भेजा गया था)29 अप्रैल, 1993 को कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय के लिए पूर्ण पीठ को भेजा गया।

माननीय श्री न्यायमूर्ति एसएस सोढ़ी, माननीय श्री न्यायमूर्ति वीके बाली और माननीय श्री न्यायमूर्ति वीके झांजी की पूर्ण पीठ ने मामले में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का फैसला किया।,—4 जून, 1993 के फैसले में निर्देश दिया गया कि जहां तक रिट याचिका के निर्णय की योग्यता है, याचिका को एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष तय किया जाए।)

राम सरन दास, वकील और अश्विनी कुमार। याचिकाकर्ता, 1 आर के लिए वकील। प्रतिवादी की ओर से अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुभाष गोयल, अधिवक्ता।

एमएल सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमारी अलका सरीन के साथ। अधिवक्ता, प्रथम न्यायालय के लिए बख्शीश- कौर सैनी बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य249 (एसएस सोढ़ी, जे.)

निर्णय

एसएस सोढ़ी, जे.

चंडीगढ़ के एक नियोजित शहर होने के संदर्भ में - और शायद हमारे देश में इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण - सख्त नियमों और उस क्षेत्र के साथ जिस पर निर्माण किया जा सकता है " ^d ^e निर्माण जो वहां किया जा सकता है, यह कहने के लिए कि एक अनिधकृत निर्माण इसे वैध माना जाएगा, यिद इस अविध के भीतर मालिक को इसे ध्वस्त करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, तो यह वास्तव में चौंकाने वाला लगेगा और फिर भी यही प्रतीत होता है। चंडीगढ़ प्रशासन बनाम श्रीमती हिरंदर पन्नू (1) मामले में डिवीजन बेंच द्वारा इसे कानून माना गया था। इस दिष्टकोण की सत्यता के संबंध में जो संदेह था, वह अब एक बड़ी बेंच द्वारा इस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है और इसलिए यह पूर्ण पीठ को संदर्भ है।

(2) चंडीगढ़ में इमारतों के निर्माण को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों की उत्पित पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम 1952 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) से होती है, विशेष रूप से इसकी धारा 22 से, जो सरकार को कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। अधिनियम के उद्देश्य. यह ध्यान रखना उचित है कि ये प्रावधान (पंजाब पुनर्गठन (चंडीगढ़) (राज्य और समवर्ती विषयों पर कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 1968 द्वारा इस धारा 22 की उपधारा (3) के निरस्त होने तक) पहले भी रखे गए थे 14 दिनों की अवधि के लिए राज्य विधानमंडल, उसके तहत बनाए गए सभी नियम। जैसा कि दया स्वरूप नेहरा बनाम पंजाब राज्य (2) में आईडी दुआ, जे. ने कहा, "कानून निर्माता द्वारा उन्हें दिए गए महत्व और गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ऐसे नियमों का कानून में वही प्रभाव होता है जो अधिनियम में निहित होता है और निर्माण या दायित्व या अन्यथा सभी उद्देश्यों के लिए ऐसा माना जाता है। ऐसे नियमों में से किसी एक और अधिनियम की एक धारा के बीच टकराव की स्थिति में, इसे उसी भावना से निपटाया जाना चाहिए जैसे कि अधिनियम के दो वर्गों के बीच टकराव से निपटा जाएगा।

- (3) इसके अलावा, इमारतों के निर्माण के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार या मुख्य प्रशासक को शक्ति प्रदान की गई है। कानून का यह प्रावधान इस प्रकार है:-
 - (4) भवन के निर्माण के संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति:-(1) उचित योजना या विकास के प्रयोजन के लिए-
 - (1) 1991(1) पीएलआर 144.
 - (2) एआईआर 1964 पंजाब 533।

चंडीगढ़ में, केंद्र सरकार या मुख्य प्रशासक ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जो आवश्यक समझे जाएं, किसी भी साइट या इमारत के संबंध में, या तो आम तौर पर पूरे चंडीगढ़ के लिए या उसके किसी विशेष इलाके के लिए, किसी एक या अधिक के संबंध में। निम्नलिखित मामले, अर्थात: -

- (a) किसी भवन की ऊंचाई या अग्रभाग की वास्तुशिल्प विशेषताएं;
- (b) अलग या अर्ध-पृथक इमारतों या दोनों का निर्माण और ऐसी इमारत से जुड़ी भूमि का क्षेत्र;
- (c) किसी भी इलाके में बनाए जा सकने वाले आवासीय भवनों या किसी साइट की संख्या;
- (d) किसी विशिष्ट वास्तुशिल्प चरित्र की दुकानों, कार्यशालाओं, गोदामों, कारखानों या इमारतों के निर्माण या किसी विशिष्ट वास्तुशिल्प चरित्र के निर्माण के संबंध में निषेध। किसी भी इलाके में विशेष प्रयोजनों के लिए डिज़ाइन की गई इमारतें या इमारतें;
- (e) दीवारों, बाड़ों, बाड़ों या किसी अन्य संरचनात्मक या वास्तुशिल्प निर्माण की ऊंचाई और स्थिति का रखरखाव:
 - (f) इमारतों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए साइट के

बख्शीश-कौर सैनी बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य251 (एसएस सोढ़ी, जे.)

उपयोग पर प्रतिबंध।"

- (4) इन निर्देशों का उल्लंघन अधिनियम की धारा 13 के तहत दंडनीय अपराध बना दिया गया है, साथ ही उल्लंघन जारी रखने पर बार-बार जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- (5) केंद्र सरकार को इमारतों के निर्माण को विनियमित करने और निम्निलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए नियम बनाने के लिए धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा भी सशक्त बनाया गया है, अर्थात्:
 - (a) बाहरी और विभाजन की दीवारों, छतों, फशोंं, सीढ़ियों, लिफ्टों, आग के स्थानों, चिमनी और इमारत के अन्य हिस्सों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और उनकी स्थिति या स्थान या निर्माण की विधि:

- (b) किसी भी इमारत की छतों और दरवाजों की ऊंचाई और ढलान जिसका उपयोग आवासीय या खाना पकाने के उद्देश्यों के लिए किया जाना है;
- (c) किसी भी इमारत या उसके हिस्से में हवा के मुक्त संचार को सुनिश्चित करने के लिए या उसके आसपास छोड़ी जाने वाली जगह का वेंटिलेशन
- (d) किसी भी इमारत की मंजिलों की संख्या और ऊंचाई; आग की रोकथाम;
- (e) किसी भी इमारत में प्रवेश या निकास के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले साधन;
- (f) रहने वाले कमरे, शयन कक्ष या मवेशियों के उपयोग के लिए कमरे के रूप में उपयोग के लिए इच्छित कमरों के न्यूनतम आयाम;
- (g) कमरों का वेंटिलेशन, कमरों की स्थिति और आयाम, या किसी इमारत की बाहरी दीवारों और दरवाजों या खिड़िकयों के बाहरी किनारों से परे प्रक्षेपण:
- (h) इमारतों के निर्माण, समापन और कब्जे के उचित विनियमन को आगे बढ़ाने में कोई अन्य मामला;
- (i) भवन योजनाओं, संशोधित योजनाओं और पूर्णता रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक और प्रासंगिक प्रमाण पत्र।
- (6) अधिनियम की धारा 5(1) द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के तहत बनाए गए किसी भी भवन नियमों के उल्लंघन में चंडीगढ़ में किसी भी भवन के निर्माण या कब्जे के खिलाफ एक विशिष्ट रोक अधिनियमित की गई है।
- (7) इसके अलावा, अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति भी धारा 22 के संदर्भ में केंद्र सरकार के पास है, जिसमें निम्नलिखित के लिए नियम शामिल हैं:-
 - (a) वे नियम और शर्तें जिन पर इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार

बख्शीश-कौर सैनी बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य253 (एसएस सोढ़ी, जे.)

द्वारा कोई भूमि या भवन हस्तांतरित किया जा सकता है;

- (d) किसी भी साइट या भवन में किसी भी अधिकार के हस्तांतरण के तहत नियम और शर्तों की अनुमति दी जा सकती है;
- (e) किसी भवन का निर्माण या किसी साइट का उपयोग;

बख्शीश- कौर सैनी बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य6 (एसएस सोढ़ी, जे.)

- (g) वे नियम और शर्तें जिनके उल्लंघन पर किसी भी साइट बैल निर्माण को फिर से श्रू किया जा सकता है;
- (h) इस अधिनियम के तहत हस्तांतरित स्थलों पर बनाए जाने वाले भवनों के संबंध में शर्तें:"
- (8) जैसा कि चंडीगढ़ प्रशासन के विरष्ठ वकील श्री अशोक अग्रवाल ने सही कहा है, अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि इसके तहत बनाए गए भवनों से संबंधित नियमों के उल्लंघन से तीन अलग-अलग और जिला पिरणाम हो सकते हैं। सबसे पहले, धारा 15 के पहले प्रावधान के अनुसार, मालिक को एक नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें निर्दिष्ट समय के भीतर, जैसा भी मामला हो, इमारत को बदलने या ध्वस्त करने के लिए कहा जाता है और ऐसा करने में विफल रहने पर, मुख्य प्रशासक को मालिक के खर्च पर इमारत को ध्वस्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। हालाँकि, मालिक को इस तरह का नोटिस देने के लिए एक समय सीमा तय की गई है, यानी इमारत शुरू होने या पूरा होने के छह महीने के भीतर।
- (9) इसके बाद, फिर से धारा 15 की शर्तों में, भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध बना दिया गया है, जिसमें चूककर्ता को न केवल जुर्माना देना होगा, बल्कि निरंतर उल्लंघन के लिए आवर्ती जुर्माना भी देना होगा। इसके अलावा, न्यायालय के पास इमारत को जब्त करने का आदेश देने की भी शक्ति है।
- (10) अंत में, बिक्री की किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 8ए के संदर्भ में साइट या भवन को फिर से शुरू किया जाता है और उसके संबंध में भुगतान की गई पूरी धनराशि या उसका कुछ हिस्सा जब्त कर लिया जाता है।
- (11) श्री एमएल सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनसे इस मामले में हमारी सहायता करने का अनुरोध किया गया था, ने अपनी ओर से पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) भवन के रूप में जानी जाने वाली इमारतों के निर्माण के संबंध में सख्त, सटीक और विस्तृत नियम बनाए जाने का स्झाव दिया। नियम,

बख्शीश-कौर सैनी बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य7 (एसएस सोढ़ी, जे.)

1952। इसका नियम 3 उस व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य बनाता है जो किसी इमारत का निर्माण करता है या फिर से खड़ा करता है या यहाँ तक कि उस पर कब्ज़ा भी कर लेता है, कि वह इन नियमों और ज़ोनिंग प्लान, आर्किटेक्चरल कंट्रोल शीट्स या फ्रेम कंट्रोल ड्रॉइंग्स में दिखाए गए प्रतिबंधों का भी पालन करे। मामला हो सकता है. नियम 18 में आगे प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इमारत पर तब तक कब्जा नहीं करेगा जब तक कि उसे मुख्य प्रशासक द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार पूरा होने के लिए प्रमाणित नहीं किया जाता है।

- (12) इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए विशेष रूप से सहमति को चंडीगढ़ (साइटों और भवनों की बिक्री) नियम, i960 के तहत साइट और भवनों की बिक्री और हस्तांतरण के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में शामिल किया गया है।
- (13) इसी पृष्ठभूमि में श्रीमती हामर पावस मामला (सुप्रा) गंभीर पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है। यह मामला रिट याचिकाकर्ता श्रीमती हरिंदर पन्नू द्वारा चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित अपने घर में किए गए कथित अनिधकृत निर्माण से संबंधित था। इस निर्माण के पूरा होने के छह महीने बाद, अधिनियम की धारा 15 के पहले प्रावधान के अनुसार उसे नोटिस दिया गया था। अगस्त 1983 में उन्हें दिए गए इस नोटिस के अनुसरण में दिसंबर 1986 में कथित अनिधकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया था। इस निर्माण के विध्वंस को रिट कार्यवाही में चुनौती दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस विध्वंस को अवैध माना और परिणामस्वरूप रिट याचिकाकर्ता अपनी लागत पर ध्वस्त हिस्से का पुनर्निर्माण करने की हकदार थी।
- (14) जब मामला लेटर्स पेटेंट अपील में डिवीजन बेंच के सामने आया, तो यह माना गया कि निर्माण पूरा होने के छह महीने बाद रिट याचिकाकर्ता को निर्माण के विध्वंस के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता था। हालाँकि, डिवीजन बेंच ने आगे कहा, "विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से माना है कि इस तरह के नोटिस के आधार पर विध्वंस अवैध था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा, "समय बीतने के साथ, सह-संरचना निहित और वैध हो गई।" हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को अनिधकृत निर्माण के लिए कंपाउंडिंग शुल्क देना होगा। विभाग कंपाउंडिंग शुल्क लेने का हकदार होगा जैसे कि निर्माण वर्ष 1982 में किया गया था।
- (15) ऊपर दिए गए अवलोकन के अधीन, यह अपील विफल हो जाती है और लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में, यह माना गया कि समय बीतने के साथ कथित अवैध निर्माण वैध हो

बख्शीश- कौर सैनी बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य253 (एसएस सोढ़ी, जे.)

गया। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसका हम सम्मान के साथ संभवतः समर्थन नहीं कर सकते।

- (16) अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों को पढ़ने से पता चलता है कि हालांकि इसके उल्लंघन में इमारतों के निर्माण और निर्माण के संबंध में स्पष्ट और अनिवार्य निषेध शामिल हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इसके लिए प्रावधान करता हो या इसे समान माना जा सके। एक सक्षम प्रावधान, जो किसी भी अनाधिकृत निर्माण को केवल समय की चूक से वैध बनाने की प्रवृति रखता है।
 - (17) जहां तक इमारतों के निर्माण या निर्माण के मामले में उल्लंघनों के संयोजन का संबंध है, इनका भी, चीजों की प्रकृति के अनुसार, केवल मामूली या तकनीकी उल्लंघनों के संबंध में ही सहारा लिया जा सकता है, न कि जहां ऐसे अनिधकृत * निर्माण के विपरीत, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम तीसरे पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह 22 जनवरी, 1993 को अधिनियम की धारा 4 के तहत मुख्य प्रशासक, चंडीगढ़ द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों से भी स्पष्ट है। ये निर्देश ही भवन उपनियमों के उल्लंघन की कंपाउंडिंग को सही ढंग से नियंत्रित करते हैं।
 - (18) इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि अधिनियम की धारा 15 के पहले प्रावधान के अनुसार, कथित अनिधकृत निर्माण के विध्वंस के लिए मालिक पर नोटिस जारी करने के लिए एक समय सीमा लगाई गई है और इसलिए ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता है। , इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद जारी किया जा सकता है, लेकिन, जैसा कि पहले बताया गया है, इस तरह के नोटिस जारी करना तीन परिणामों में से एक है जो अधिनियम के प्रावधानों और भवन निर्माण से संबंधित नियमों के उल्लंघन से उत्पन्न हो सकता है। धारा 8ए और 15 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए डिफ़ॉल्ट मालिक का दायित्व, अर्थात् साइट को फिर से शुरू करना, जब्ती और जुर्माना अभी भी जारी रहेगा। इसलिए, यह नहीं कहा जा

बख्शीश- कौर सैनी बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य254 (एसएस सोढ़ी, जे.)

सकता कि अनाधिकृत निर्माण पूरा होने के छह महीने बाद ही यह वैध हो जाएगा।

- (19) इस प्रकार, कानून में स्थापित स्थिति होने के नाते, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि श्रीमती हरिंदर पन्नेस मामले (ऊपर) में डिवीजन बेंच का फैसला इतना मोटा है कि यह कहता है कि कला अनिधकृत निर्माण केवल पारित होने से वैध हो जाएगा । यह सही कानून को व्यक्त नहीं करता है और इस प्रकार, इसे खारिज कर दिया जाता है। इस संदर्भ में उठाए गए मुद्दे का तदनुसार उत्तर दिया गया है। जहाँ तक वांछित याचिका के गुण-दोष के आधार पर निर्णय की बात है, हम इस मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश के पास भेजते हैं। इस संदर्भ की लागत रिट कार्यवाही की लागत होगी।
- (20) इस मामले से अलग होने से पहले, हम निर्माण के संबंध में मौजूद विसंगतिपूर्ण स्थिति की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जबिक, इसके संबंध में बहाली या जब्ती का सहारा लेने के लिए समय की कोई बाधा नहीं लगाई गई है, इसके विध्वंस के लिए कॉल करने वाले को नोटिस देने के लिए छह महीने की समय सीमा है। यह वास्तव में कुछ हद तक अजीब लगता है कि ऐसी समय सीमा तय की जानी चाहिए थी

ताकि चूककर्ता के विरुद्ध न्यूनतम कार्रवाई की जा सके। इसलिए, केंद्र सरकार अपने विवेक से अधिनियम की धारा 15 के पहले प्रावधान के तहत विध्वंस की सूचना जारी करने के लिए किसी भी समय सीमा को पूरी तरह से हटाने पर विचार कर सकती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तािक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिएइसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जितेश कुमार शर्म।

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर(हरियाणा)